भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

प्रेस नोट सं. 6 (2014 श्रृंखला)
लाइसेंसीकृत रक्षा उद्योगों के लिए सुरक्षा नियमावली

रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रेस विज्ञप्ति-2 (2002 सीरीज) के पैरा-12 एवं 15 के अनुसार जारी किए जाते हैं जिसके लिए आवेदकों द्वारा यह शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है कि लाइसेंस प्राप्त मद (मदों) का उत्पादन शुरू करने से पहले पर्याप्त सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और लाइसेंस धारक द्वारा रक्षा बलों के लिए निर्मित किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित सुरक्षापायों एवं अति संवेदनशीलता के संदर्भ में उपयुक्त सुरक्षात्मक एवं लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं एवं आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों का पालन किया जाएगा।

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने 'लाइसेंसीकृत रक्षा उद्योग के लिए सुरक्षा नियमावली' को अंतिम रूप दे दिया है तथा यह उक्त विभाग की वेबसाइट http://ddpmod.gov.in पर उपलब्ध है। तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंस के आवेदकों द्वारा उपरोक्तानुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(शुभ्रा सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औ.नी.एवं सं.वि. 4(10)2013-आईएल   दिनांक: 8 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि: (1) प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो को आवश्यक प्रचार हेतु।
(2) एनआईसी अनुभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को इस प्रेस नोट को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।